न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/7 (प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 24.01.2024**

उनवान

रामेश्वर पुत्र श्री बजरंग लाल, जाति तेली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज.

.... अपीलांट

बनाम

1. मौसमी बाई पत्नी श्री सूरजमल, जाति– तेली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला– बारां (राज.)
2. नरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल, जाति तेली, निवासी भँवर रोड़, सुल्तानुपर, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल, जाति तेली, निवासी भँवर रोड़, सुल्तानुपर, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
4. मांगीलाल पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति तेली, निवासी रायथल रोड़ गोपालपुरा, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
5. मनभर बाई पत्नी श्री मुकेश, जाति तेली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/8 (अंतिम डिक्री) **दायरा दिनांक : 24.01.2024**

उनवान

रामेश्वर पुत्र श्री बजरंग लाल, जाति तेली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज.

.... अपीलांट

बनाम

1. मौसमी बाई पत्नी श्री सूरजमल, जाति– तेली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला– बारां (राज.)
2. नरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल, जाति तेली, निवासी भँवर रोड़, सुल्तानुपर, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल, जाति तेली, निवासी भँवर रोड़, सुल्तानुपर, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
4. मांगीलाल पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति तेली, निवासी रायथल रोड़ गोपालपुरा, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
5. मनभर बाई पत्नी श्री मुकेश, जाति तेली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज.) ..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 09.10.2025**

1. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 161/2014 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित निर्णय दिनांक 10.08.2020) से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।
3. दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी मौसमी बाई ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादनी एवं प्रतिवादीगणों की शामलाती खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं० 4689 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 हेक्टर, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 हेक्टर, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 7.95 हेक्टर ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित निर्णय दिनांक 10.08.2020) से वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।
4. अपील संख्या 2024/7 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी क्रम 02, 03, 05 व जवाब प्रतिवादी क्रम 01 व 04 में जैरकार थी, जो दिनांक 07.06.2018 तक वास्ते जवाब व तलबी में जैरकार थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.08.2018 को पत्रावली सीधे जवाब में जैरकार की व दिनांक 08.10.2018 को प्रतिवादी क्रम 02, 03, 05 की एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना ही सीधे ही प्रतिवादी क्रम 01 व 04 का जवाब बंद कर साक्ष्य वादी में नियत कर दी तथा दिनांक 05.12.2018 को वादिया का शपथ पत्र शामिल पत्रावली कर अगले ही दिन दिनांक 06.12.2018 को बहस सुन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने जैरकार वाद में अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 03 की बिना सुनवाई किये व बिना जवाबदेही का अवसर दिये पत्रावली का निर्णय कर दिया है, जिससे अपीलांट अपना पक्ष रखने से वंचित हो गया है। बजरंगलाल के वारिसान का 1/4 – 1/4

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हिस्सा था, जिसमें से घीसी बाई बेवा बजरंगलाल का हिस्सा 1/4 रेस्पोडेंट क्रम 01 ने जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र खरीद कर लिया। वास्तविकता में आराजी पुश्तैनी होने से घीसी बाई अपीलांट की माता भी है, के हिस्से में अपीलांट व रेस्पो. क्रम 04 तथा पुत्री नंदू बाई का भी हिस्सा था, जो विरासतन है। घीसी बाई द्वारा 1/4 हिस्से का दान पत्र गलत किया गया है। घीसी बाई का तो मात्र 1/4 हिस्से में 1/16 हिस्सा निहित था तथा उसे ही रहन, बेचान, दान करने का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी क्रम 01 व 04 (रेस्पो. क्रम 02 व 04) को भी शपथ पत्र वादिया पर जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि वादिया ने अनुचित तरीके से वाद का निस्तारण करवा कर निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2018 जारी करवायी है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं होने से अपीलांट अपना पक्ष नहीं रखा पाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तलबी रजिस्टर्ड ए. डी. से करवाये जाने के आदेश होने के बावजूद वादिया द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. के तलबाना व नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये, जिससे साफ जाहिर होता है कि वादिया अपीलांट को नुकसान पहुँचाना चाहती थी जिससे निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2018 निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2018 अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

5. अपील संख्या 2024/8 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं होने से अपीलांट अपना पक्ष नहीं रखा पाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तलबी रजिस्टर्ड ए. डी. से करवाये जाने के आदेश होने के बावजूद वादिया द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. के तलबाना व नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये, जिससे साफ जाहिर होता है कि वादिया अपीलांट को नुकसान पहुँचाना चाहती थी तथा वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त होना जाहिर किया है, परन्तु कौनसे खसरा नंबर पर काश्त कर रही थी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित दिनांक 10.08.2020) निरस्तनीय है। बँटवारा प्रस्ताव जारी करते वक्त न तो अपीलांट व शेष रेस्पोंडेंट्स को मौके पर बुलाया गया, ना उनकी सहमति ली गयी तथा ना ही बँटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाये गये। तहसीलदार मांगरोल द्वारा मनमाने तरीके से रेस्पो. क्रम 01/वादिया को लाभ पहुँचाने के आशय से मनमानी तरीके से बँटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है, जिससे अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 एल.आर. एक्ट की पालना नहीं की गयी है व वादिया/रेस्पो. क्रम 01 को लाभ पहुँचाने के आशय से बंटवारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित दिनांक 10.08.2020) निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित दिनांक 10.08.2020) अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

6. दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी जून 2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करने पर हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
7. दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।
8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेंट कम 1 मौसमी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था। भंवरलाल के दो पुत्र बजरंगलाल व नाथू थे। बजरंग लाल के रामेश्वर, मांगीलाल पुत्र, नन्दूबाई पुत्री व घीसी बाई पत्नी है। वादग्रस्त आराजी घीसी बाई से दानपत्र से मौसमी बाई ने क्रय की थी। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है, विरासत में घीसी बाई को प्राप्त हुई है। घीसीबाई के 1/4 हिस्से में रामेश्वर, मांगीलाल व नन्दू बाई का भी हिस्सा है । घीसीबाई को उसके 1/4 हिस्से में से केवल 1/16 हिस्से का ही दान करने का अधिकार था। इस प्रकार दानपत्र गलत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दान पत्र के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री व फाइनल डिक्री जारी की है जो गलत है। तलबी/तामील नहीं हुई, दान पत्र विधि विरूद्ध होने से प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।
9. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
10. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
11. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।
12. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में वादनी/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादनी एवं प्रतिवादीगणों की शामलाती खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं. 4684 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

4688 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं. 4689 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 4690 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 4691 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नं. 4692 रकबा 3.33 हेक्टर, खसरा नं. 4693 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 4694 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 4700 रकबा 2.24 हेक्टर, खसरा नं. 4701 रकबा 0.08 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 7.95 हेक्टर ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है जिसमें वादनी का हिस्सा 1/8 निहित है एवं पारिवारिक बंटवारें के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा काश्त में व्यवधान पैदा होने के कारण सम्पूर्ण आराजी में हिस्सा 1/8 को अपने पृथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर लगान व नक्शा ट्रेस भी पृथक दर्ज करने का आदेश प्रदान कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करे।

13. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2018 से प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि तहसीलदार मांगरोल को वाके ग्राम सीसवाली की आराजी कुल किता 10 कुल रकबा 7.95 हैक्टर में मौके पर कब्जे अनुसार वादनी का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादीगण के हिस्से का निर्धारण कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादनी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करे।

14. पटवारी द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार के पत्रांक 11 दिनांक 01.01.2019 से अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुआ जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.01.2019 से अंतिम डिक्री जारी करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि मोसमीबाई को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं. 4689 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 4691 रकबा 0.74 हेक्टर इसी प्रकार नरेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्र छीतरलाल हिस्सा 106/696, रामेश्वर पुत्र बंजरगलाल हिस्सा 166/696 मांगीलाल पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 265/696, मनभर बाई पत्नि मुकेश हिस्सा 159/696 रहन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सीसवाली हि0 मांगीलाल व मनभर बाई का, को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं. 4684 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 4688 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं. 4689 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 4692 रकबा 3.33 हेक्टर, खसरा नं. 4693 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 4694 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 4700 रकबा 2.24 हेक्टर, खसरा नं. 4701 रकबा 0.08 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता। प्रत्येक सहखातेदारान का खाता तन्हा रूप से पृथक किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाने का निर्णय पारित किया गया।

15. अधीनस्थ न्यायालय में वादनी द्वारा दिनांक 10.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2019 में खसरा नं. 4689 रकबा 0.08 हैक्टर के स्थान पर खसरा नं. 4690 रकबा 0.08 हेक्टर दर्ज करने हेतु संशोधित डिक्री जारी करने का निवेदन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 10.08.2020 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.01.2019 में दर्ज खसरा नं. 4689 रकबा 0.08 हेक्टर के स्थान पर खसरा नं. 4690 रकबा 0.08 हेक्टर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां की खाता संख्या 518 की कुल किता 10 रकबा 7.95 हेक्टर विवादित आराजी में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में भी वादिया रेस्पोडेंट कम 1 का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत नकल जमाबंदियों के अनुसार विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट रामेश्वर ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी कम 3 की बिना सुनवायी किये व बिना जवाबदेही का अवसर दिये पत्रावली का निर्णय कर दिया है, जिससे अपीलांट अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रतिवादी कम 3 रामेश्वर (अपीलांट) एवं प्रतिवादी कम 4 मांगीलाल की ओर से दिनांक 19.12.2014 को अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश पारेता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 3 व 4 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.08.2018 तक अनेक अवसर प्रदान करने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से होती है। अपीलांट प्रतिवादी कम 3 रामेश्वर द्वारा जवाब दावा पेश करने के कई अवसर प्राप्त होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अतः अपीलांट द्वारा अपील में अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं जवाबदेही हेतु अवसर प्राप्त नहीं होने के तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती।

17. अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि वादिया रेस्पोडेंट कम 1 मौसमी बाई ने अपीलांट की माता घीसी बाई बेवा बजरंगलाल का विवादित आराजी में निहित 1/4 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र खरीदा है परन्तु आराजी पुश्तैनी होने से घीसी बाई अपीलांट की माता के हिस्से में अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 4 तथा पुत्री नन्दूबाई का भी हिस्सा था, जो विरासतन है। घीसी बाई द्वारा 1/4 हिस्से का दान पत्र गलत किया गया है। घीसी बाई का तो मात्र 1/4 हिस्से में 1/16 हिस्सा निहित था तथा उसे ही रहन, बेचान, दान करने का अधिकार प्राप्त था। अपीलांट ने ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आराजी पुश्तैनी है, ना ही अपीलांट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र की प्रमाणित नकल पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 एवं संवत 2073 से 2076 में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 मौसमी बाई पत्नी सूरजमल का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, ना की 1/4 हिस्सा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रस्तुत अपील में सलंग्न दस्तावेजों से अपीलांट द्वारा दान पत्र एवं आराजी के पैतृक होने के तथ्यों की भी पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार अपीलांट प्रतिवादी कम 3 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2024/7 में अंकित अपने तथ्यों की पुष्टि करने में असफल रहने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/7 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री खारिज होने योग्य है।

18. अपीलांट प्रतिवादी कम 3 रामेश्वर ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2024/8 में भी अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के अवसर एवं दान पत्र के सन्दर्भ में प्रारम्भिक डिक्री की अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया है जिनका विवेचन पैरा नं. 17 में पूर्व में किया जा चुका है। अपीलांट का अन्य मुख्य कथन यह है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.12.2018 को तैयार कर तहसीलदार मांगरोल को प्रेषित किया गया है, जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। यह बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.01.2019 से उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को प्रेषित किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार मांगरोल द्वारा स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया, जो राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में दिये गये विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री निरस्त होने योग्य है।

19. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/7 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2018 यथावत रखी जाती है।

20. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/8 विरूद्ध अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित निर्णय दिनांक 10.08.2020) बंटवारे के विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.01.2019 (संशोधित निर्णय दिनांक 10.08.2020) खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशानिर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुए तहसील मांगरोल से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत अंतिम डिक्री जारी करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2025 को उपस्थित होवे।

21. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

रामेश्वर पुत्र श्री बजरंग लाल, जाति तेली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज.

.... **अपीलांट**

बनाम

1. मौसमी बाई पत्नी श्री सूरजमल, जाति– तेली, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला– बारां (राज.)
2. नरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल, जाति तेली, निवासी भँवर रोड़, सुल्तानुपर, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल, जाति तेली, निवासी भँवर रोड़, सुल्तानुपर, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)
4. मांगीलाल पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति तेली, निवासी रायथल रोड़ गोपालपुरा, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
5. मनभर बाई पत्नी श्री मुकेश, जाति तेली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज.)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज.)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024/7 (प्राथमिक डिक्री)**
मु.द.नं0 **161/2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **06.12.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **10 माह 09** सन् **2025**

उपस्थित **श्री कमलदीप सिंह हाडा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील संख्या 2024/7 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2018 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **09 माह 10 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)